न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 1106/2026
गीता देवी बनाम बिहार सरकार
[मुफस्सिल थाना कांड संख्या 200/2026]
आदेश

23.07.2026 आवेदिका/अभियुक्ता **गीता देवी पति मंटु कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1106/2026, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 200/2026, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 351(2), 352/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ कुमार यादव एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 05.04.2026 को सूचक की बकरी खुलकर चली गई थी जिसमें कुछ फसल चर गई। इसी कारण सूचक का पड़ोसी मंटु कुमार, उर्मीला कुमारी, गीता देवी एवं मंटु कुमार सभी अचानक लाठी, डंडा लेकर सूचक के दरवाजे पर आए और आते ही गाली–गलौज करते ही सूचक को लप्पड़, थप्पड़ से मारने लगे। इसी क्रम में सूचक की पत्नी रानी देवी सूचक को बचाने आई तो उक्त सभी लोग लाठी से सिर पर मारकर जख्मी कर दिए। सूचक को उठाकार सिवान सदर अस्पताल ले गए जहां नाजुक हालत देखकर गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदिका बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदिका की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका का अतीत साफ है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका के उपर दबाव बनाने के लिए यह मामला पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठा है। आवेदिका द्वारा सिवान मुफस्सिल थाना कांड संख्या 201/2026 के तहत अभियोजन पक्ष के विरूद्ध पलटावाद का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आवेदिका को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है इसलिए उन्होंने यह अग्रिम जमातन आवेदन दाखिल किया है। आवेदिका मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदिका द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 200/2026, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 351(2), 352/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदिका के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदिका/अभियुक्ता पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 1106/2026
गीता देवी बनाम बिहार सरकार
[मुफस्सिल थाना कांड संख्या 200/2026]

23.07.2026
लगातार

एवं उसके परिवार के सदस्यों को लाठी, डंडा, एवं लप्पड़–थप्पड़ से मारने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका के ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। कांड दैनिकी के अनुसार चिकित्सक ने जख्मी के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदिका के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति व उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदिका/अभियुक्ता **गीता देवी** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदिका के निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
सिवान।
दिनांक 23.07.2026

Date of Order/Judgment	23.07.2026
Date of Reserving Order/Judgment	23.07.2026
Uploading Date	27.07.2026
Uploaded By	RAVI KANT